आवश्यक

संख्या-62/2023/2472373/12-2099/205/2022

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनाँक 02 अगस्त, 2023

विषय:-कृषकों को सुगमतापूर्व निर्धारित दरों पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि खरीफ, 2023 की फसलों के बुवाई/रोपाई का कार्य पूर्ण किए जाने के उपरान्त फसलों में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग का कार्य कृषकों द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण वर्तमान में यूरिया उर्वरक की मांग में वृद्धि हुई है। कृषकों को निर्धारित दरों पर उनकी जोत के अनुसार संस्तुत मात्रा में यूरिया उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराना एवं जमाखोरी/कालाबाजारी/निर्धारित दर से अधिक दर पर बिक्री तथा उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग पर अंकुश लगाना शासन की प्राथमिकता है।

2. उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-33/2020/1866/12-2-2020-एफ.58/2008, दिनांक 15 सितम्बर, 2020 के द्वारा जिलाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समति के द्वारा जनपदों में रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था तथा मांग एवं आपूर्ति के आधार पर उर्वरकों का सही ढंग से वितरण सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक बैठक आहूत किए जाने के निर्देश दिये गए हैं।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषकों को सुगमतापूर्वक निर्धारित दरों पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

(i) सहकारिता क्षेत्र के बफर में उर्वरकों के सामान्य स्टॉक की उपलब्धता न होने की दशा में जनपद में कृषकों की मांग के आधार पर प्रीपोजिशनिंग स्टॉक से उर्वरकों को तत्काल कृषकों को बिक्री हेतु अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) वर्तमान में प्रयोग होने वाली मुख्य उर्वरक यूरिया की बिक्री कृषकों को निर्धारित मूल्य पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जाए। यदि कोई उर्वरक विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री करते हुए पाया जाए तो उसके विरूद्ध उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक यामिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।

(iii) उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा उर्वरक के साथ जबरन किसी भी प्रकार के अन्य उर्वरक/उत्पादों की टैगिंग करके बिक्री न की जाए। ऐसे उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्थाओं पर भी सतर्क दृष्टि रखी जाए, जिनके द्वारा किसी थोक उर्वरक विक्रेता को प्रमुख उर्वरक यूरिया की आपूर्ति दिये जाने हेतु कम प्रचलित उर्वरक/उत्पाद भी क्रय करने हेतु बाध्य किया जाता है तो उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(iv) कृषकों को उनकी जोत/कृषित भूमि के आधार पर ही नियंत्रित तरीके से बोई गई फसल की संस्तुतियों के अनुरूप यूरिया उर्वरक की बिक्री की जाए, जिससे समस्त कृषकों की मांग को पूरा किया जा सके।
(v) फुटकर के साथ-साथ थोक उर्वरक विक्रेताओं एवं बफर स्टाकिस्टों के स्टॉक का भी सघन निरीक्षण किया जाए। यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि कहीं थोक उर्वरक विक्रेता अपने पास स्थानीय स्तर पर उर्वरक का अनावश्यक भण्डारण करके कृत्रिम अभाव की स्थिति न उत्पन्न कर रहे हों। यदि ऐसी स्थिति पायी जाती है तो स्टॉक को बाजार में कृषकों में बिक्री के लिए अवमुक्त किया जाए एवं संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-62/2023/2472373(1)/12-2099/205/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियॉं, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।